दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 07/06/2017 का कार्यवृत्त

उपस्थितिः

1	प्रो0 विजय कृष्ण सिंह	कुलपति	अध्यक्ष
2	प्रो0 पी0सी0 शुक्ल	अधिष्ठाता, वाणिज्य संकाय	सदस्य
3	प्रो0 श्रीमती शैलजा सिंह	अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय	सदस्य
4	प्रो0 एस0के0 सेन गुप्ता	अधिष्ठाता, विज्ञान संकाय	सदस्य
5	प्रो0 जितेन्द्र मिश्र	अधिष्ठाता, विधि संकाय	सदस्य
6	डॉ0 अवधेश सिंह	अधिष्ठाता, कृषि संकाय	सदस्य
7	प्रो0 सी0पी0 श्रीवास्तव	आचार्य, दर्शनशास्त्र विभाग	सदस्य
8	डॉ0 संगीता पाण्डेय	उपाचार्य, समाज शास्त्र विभाग	सदस्य
9	डॉ0 अनुराग द्विवेदी	प्रवक्ता, समाज शास्त्र विभाग	सदस्य
10	डॉ0 प्रदीप कुमार सिन्हा	वरिष्ठ शिक्षक, उदित नारायण पी0जी0 कालेज, पडरौना	सदस्य
11	श्री अशोक कुमार अरविन्द	कुलसचिव	सदस्य
12	डॉ0 अमरेन्द्र कुमार सिंह	परीक्षा नियंत्रक	सचिव
13	प्रो0 चित्तरंजन मिश्र	अध्यक्ष, हिन्दी विभाग	विशेष आमंत्रित
14	प्रो0 अजेय कुमार गुप्ता	प्रभारी, ई0डी0पी0 सेल	विशेष आमंत्रित

सर्वप्रथम बैठक के प्रारम्भ में कुलपति जी ने सभी सदस्यों का स्वागत किया व समस्त सदस्यों ने भी कुलपति जी का परीक्षा समिति के प्रथम बैठक में स्वागत किया।

1. स्नातक कला वर्ष–2016 में सर्वोच्च अंक प्राप्त कर्ता कु0 शिवांगी पाण्डेय पुत्री श्री रामकृपाल पाण्डेय परीक्षा केन्द्र–रेशमा देवी महाविद्यालय, अमवा सोहनरिया, देवरिया के 35वें दीक्षान्त समारोह में स्वर्ण पदक प्रदान करने से सम्बन्धित प्रकरण की सम्पूर्ण जांच के सम्बन्ध में माननीय कुलपति जी द्वारा गठित जांच समिति–

    1. प्रो0 चित्तरंजन मिश्र, हिन्दी विभाग – संयोजक
    2. प्रो0 अजेय कुमार गुप्ता, वाणिज्य विभाग – सदस्य
    3. प्रो0 अहमद नसीम, विधि विभाग – सदस्य
    4. डॉ0 अमरेन्द्र कुमार सिंह, परीक्षा नियंत्रक – सदस्य/सचिव

    की जांच आख्या/संस्तुति पर विचार–

निर्णयः–परीक्षा समिति ने जाँच के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा उपरान्त सर्वसम्मत्ति से समिति की संस्तुतियों को स्वीकार किया। गठित जांच समिति की संस्तुति निम्नवत है–

"(क) शिवांगी पाण्डेय पुत्री श्री रामकृपाल पाण्डेय स्नातक कला बी0ए0 भाग एक वर्ष 2014 अनुक्रमांक 7011380235, बी0ए0 भाग दो वर्ष 2015 अनुक्रमांक 1510061380152 एवं बी0ए0 भाग तीन वर्ष 2016 अनुक्रमांक 1610111380159 परीक्षा केन्द्र– रेशमा देवी महाविद्यालय, अमवा, सोहनरिया, देवरिया का प्रवेश एवं परीक्षाफल निरस्त कर दिया जाय।

(ख) रेशमा देवी महाविद्यालय, अमवा, सोहनरिया, देवरिया में संस्कृत की प्राध्यापक/कार्यवाहक प्राचार्य, डॉ0 नीलम पाण्डेय ने शिवांगी पाण्डेय के नाम से पुनः स्नातक की उपाधि प्राप्त करने की चेष्टा की हैं। केन्द्राध्यक्ष के दायित्वों का निर्वहन करते हुए ऐसा करना गम्भीर कदाचार है। ऐसे व्यक्ति का किसी भी संस्था में बने रहना उस संस्था के समूचे वातावरण को दूषित करता है और समूची व्यवस्था को कलंकित करता है। अतः इनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के लिए महाविद्यालय प्रबन्ध तंत्र को निर्देशित किया जाय।

समिति यह भी संस्तुति करती है कि महाविद्यालय डॉ0 नीलम पाण्डेय के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने हेतु सुसंगत धाराओं में एफ0आई0आर0 कराने की कार्यवाही करें तथा विश्वविद्यालय द्वारा पत्र निर्गत होने के एक सप्ताह के अन्तर्गत एफ0आई0आर0 की छायाप्रति सहित सूचित करे ऐसा न करने की दशा में महाविद्यालय के विरूद्ध भी समुचित विधिक कार्यवाही की जाय।

(ग) विश्वविद्यालय की आगामी तीन वर्षों (वर्ष–2017, वर्ष–2018 एवं वर्ष–2019) की वार्षिक परीक्षाओं हेतु रेशमा देवी महाविद्यालय, अमवा, सोहनरिया, देवरिया को परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय।"

समिति ने उपरोक्त संस्तुति के अनुरूप अग्रेतर कारवाई करन का निर्णय लिया।

2. श्री वेद प्रकाश सिंह बी0एस-सी0 भाग एक वर्ष–1986 शिबली नेशनल पी0जी0 कालेज, आजमगढ़ (एवं पुनः बी0एस-सी0 भाग एक वर्ष–1986, मुरली मनोहर टाउन डिग्री कालेज, बलिया), बी0एस-सी0 भाग दो वर्ष–1987 मुरली मनोहर टाउन डिग्री कालेज, बलिया एवं बी0एड0 वर्ष–1990 रतनसेन डिग्री कालेज, बांसी, बस्ती के प्रकरण में माननीय कुलपति जी द्वारा गठित समिति-

1. प्रो0 पंकजा सिंह, अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय -- संयोजक
2. डॉ0 अहमद नसीम, सहयुक्त आचार्य, विधि संकाय - सदस्य
3. प्रो0 शिवकान्त उपाध्याय, आचार्य, प्राणि विज्ञान विभाग -- सदस्य
4. परीक्षा नियंत्रक -- पदेन सचिव

की जाँच आख्या/संस्तुति पर विचार-

निर्णयः– समिति ने विस्तृत विचारोपरान्त सर्वसम्मत्ति से जांच समिति की संस्तुतियों को स्वीकार किया। गठित जांच समिति की संस्तुति का मूल अंश निम्नवत है–

सम्पूर्ण तथ्यों के अभिलेखीय परीक्षण से समिति इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि श्री वेद प्रकाश सिंह, बी0एस–सी0 भाग एक वर्ष–1986, शिबली नेशनल पी0जी0 कालेज, आजमगढ़ से अनुक्रमांक–21067 पर गणित, भौतिकी एवं रसायन शास्त्र में कुल 114/450 अंक पाकर अनुत्तीर्ण थे। जिसे छिपाकर उसी वर्ष में (1986) मुरली मनोहर टाउन डिग्री कालेज, बलिया से अनुक्रमांक 28121 दिखाकर फर्जी तरीके से बी0एस–सी0 भाग एक की परीक्षा 177/450 अंक पाकर उत्तीर्ण होना दिखाया है। इसी प्रकार रतनसेन डिग्री कालेज बांसी बस्ती से बी0एड0 वर्ष–1990 की भूतपूर्व परीक्षार्थी के रूप में वेद प्रकाश सिंह का परीक्षाफल भी समिति प्रथम दृष्टया उनके पूर्व में संस्था के छात्र न होने की स्थिति में फर्जी पाती है।

अतः अभिलेखीय दस्तावेजों के परीक्षण से समिति इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि श्री वेद प्रकाश सिंह पुत्र श्री कपिलदेव सिंह की बी0एस–सी0 भाग एक वर्ष–1986, बी0एस–सी0 दो वर्ष–1987 एवं बी0एड0 वर्ष–1990 का परीक्षाफल एवं उपाधि निरस्त किये जाने योग्य है तथा तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक द्वारा वेद प्रकाश सिंह की स्नातक एवं बी0एड0 की प्रेषित सत्यापन आख्या अब निष्प्रभावी मानी जाय।

तदनुरूप समिति ने उपरोक्त संस्तुतियों के अनुसार अग्रेतर कारवाई हेतु निर्णय लिया।

(समिति ने श्री वेद प्रकाश सिंह की बी0एस–सी0 एवं बी0एड0 की डिग्री के सम्बन्ध में उपनिरीक्षक, पुलिस स्टेशन घोसी मऊ के प0 दिनांक 09/07/2015 के क्रम में दर्ज कराये गये मुकदमा संख्या 152/14 का भी संज्ञान लिया।)

3. (क) प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 07/04/2017 के बिन्दु संख्या 1–(ठ) द्वारा गुरु श्री गोरक्षनाथ कालेज ऑफ नर्सिंग, गोरखनाथ, गोरखपुर में बी0एस–सी0 नर्सिंग (बेसिक) एवं बी0एस–सी0 नर्सिंग (पोस्ट बेसिक) पाठ्यक्रम वर्ष–2016–17 में **प्रवेशित छात्र/छात्राओं की सूची को अनुमोदित करते** हुए अग्रेतर कारवाई हेतु परीक्षा समिति को संदर्भित किया गया है। तदक्रम में निदेशक– गुरु श्री गोरक्षनाथ कालेज ऑफ नर्सिंग, गोरखनाथ, गोरखपुर के अनुरोध पत्र दिनांक 17/05/2017 के क्रम में प्रवेशित छात्रों की अक्टूबर/नवम्बर माह में परीक्षा से सम्बन्धित औपचारिकताएं पूर्ण करके परीक्षा सम्पन्न कराने पर विचार–

(बी0एस–सी0 नर्सिंग (बेसिक) व बी0एस–सी0 नर्सिंग (पोस्ट बेसिक) पाठ्यक्रम के तथ्यात्मक स्थिति निम्नवत है।)

(i) *(भारतीय नर्सिंग परिषद, संयुक्त परिषद भवन, कोटला रोड, टेम्पल लेन, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 06/05/2016 को जारी बी0एस–सी0 नर्सिंग (बेसिक) पाठ्यक्रम की सूची के क्रम संख्या 356 पर गुरु श्री गोरक्षनाथ कालेज ऑफ नर्सिंग को सत्र 2016–17 हेतु 30 सीट पर मान्यता प्रदान की गयी है तथा दिनांक 03/08/2016 द्वारा जारी सूची के क्रम संख्या–564 पर उक्त कालेज को सत्र 2016–17 हेतु बी0एस–सी0 नर्सिंग (पोस्ट बेसिक) पाठ्यक्रम में 20 सीट पर मान्यता प्रदान की गयी है।*

(ii) *कुलसचिव के पत्रांक–दीदउगोविवि/सम्बद्धता/2016/596 दिनांक 22/05/2016 द्वारा शर्तों के अधीन उक्त कालेज में स्नातक स्तर पर चिकित्सा संकाय के अन्तर्गत बी0एस–सी0 नर्सिंग (बेसिक) पाठ्यक्रम में दिनांक 01/07/2016 से आगामी 04 वर्षों हेतु स्ववित्त पोषित योजना अन्तर्गत अस्थायी सम्बद्धता तथा कुलसचिव के पत्रांक–दीदउगोविवि/सम्बद्धता/2016/597 दिनांक 22/05/2016 द्वारा शर्तों के अधीन उक्त कालेज को स्नातक स्तर पर चिकित्सा संकाय के अन्तर्गत बी0एस–सी0 नर्सिंग (पोस्ट बेसिक) पाठ्यक्रम में दिनांक 01/07/2016 से आगामी दो वर्षों हेतु स्ववित्तपोषित योजना अन्तर्गत अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की गयी है।*

(iii) *कुलसचिव के पत्रांक दीदउगोविवि/सम्बद्धता/2016/1373 दिनांक 03/10/2016 द्वारा उक्त कालेज को स्नातक स्तर पर चिकित्सा संकाय के अन्तर्गत बी0एस–सी0 नर्सिंग (बेसिक) एवं बी0एस–सी0 नर्सिंग (पोस्ट बेसिक) पाठ्यक्रम में दिनांक 01/07/2016 से आगामी एक वर्ष हेतु अर्थात शैक्षिक सत्र 2016–17 हेतु शर्तों के अधीन कक्षा संचालन की अनुमति प्रदान की गयी है।*

(भारतीय उपचर्या परिषद (Indian Nursing Council) के पत्र F.N. 22-10/2016-INC ns दिनांक 18 अप्रैल 2017 के क्रम में विश्वविद्यालय को भारतीय उपचर्या परिषद (Indian Nursing Council) से Examining Body के रूप में Recognize होने के लिए कुलसचिव जी के द्वारा प्रस्ताव प्रेषित किया जाना है इस हेतु कमेटी अनुभाग में पत्रावली प्रचालित है।)

निर्णयः—समिति ने सर्वसम्मत्ति से गुरू श्री गोरक्षनाथ कालेज ऑफ नर्सिंग, गोरखनाथ, गोरखपुर में बी0एस—सी0 नर्सिंग (बेसिक) एवं बी0एस—सी0 नर्सिंग (पोस्ट बेसिक) पाठ्यक्रम वर्ष—2016—17 में प्रवेशित छात्रों, जो प्रवेश समिति द्वारा अनुमोदित है की परीक्षा अक्टूबर/नवम्बर माह 2017 में कराये जाने की अनुमति प्रदान की।

साथ ही समिति ने निर्देशित किया कि विश्वविद्यालय को भारतीय उपचर्या परिषद् (Indian Nursing Council) से Examining Body के रूप में Recognize होने के लिए कुलसचिव जी के द्वारा शीघ्र कार्रवाई पूरी करा ली जाय।

(ख) बी0एस—सी0 नर्सिंग (बेसिक) एवं बी0एस—सी0 नर्सिंग (पोस्ट बेसिक) पाठ्यक्रम की परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क निर्धारण पर विचार—

निर्णयः—समिति ने सर्वसम्मत्ति से बी0एस—सी0 नर्सिंग (बेसिक) एवं बी0एस—सी0 नर्सिंग (पोस्ट बेसिक) पाठ्यक्रम की परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क निर्धारण हेतु वित्त समिति को सन्दर्भित किया।

4. विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के स्नातक कक्षाओं में राष्ट्रगौरव, पर्यावरण एवं मानवाधिकार अध्ययन विषय में तीन वर्षों में अनुत्तीर्ण रहे कतिपय छात्रों के आवेदन (प्राचार्य/विभाग द्वारा अग्रसारित) के क्रम में राष्ट्रगौरव, पर्यावरण एवं मानवाधिकार अध्ययन की परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों को परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु एक अतिरिक्त अवसर देते हुए राष्ट्रगौरव, पर्यावरण एवं मानवाधिकार अध्ययन की पुनः परीक्षा कराये जाने पर विचार—

(नोट—कार्य परिषद की आकस्मिक बैठक दिनांक 30/08/2014 में अध्यक्ष की अनुमति से अन्य बिन्दु के बिन्दु नं0—1 में सदन ने सर्वसम्मति से "राष्ट्रगौरव, पर्यावरण एवं मानवाधिकार अध्ययन प्रश्नपत्र में अनुत्तीर्ण उन समस्त छात्रों को पुनः एक और मौका 'मर्सी इग्जाम' के रूप में देने का निर्णय लिया, ताकि छात्र 'राष्ट्रगौरव, पर्यावरण एवं मानवाधिकार अध्ययन' प्रश्नपत्र क्लीयर न करने के कारण स्नातक की उपाधि से वंचित न हों")

निर्णयः—समिति ने सर्वसम्मत्ति से छात्रहित के दृष्टिगत इस प्रकरण पर निर्णय लेने हेतु कार्य परिषद को सन्दर्भित किया।

5. विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग द्वारा एम0ए0 (अर्थशास्त्र) प्रथम सेमेस्टर वर्ष—2017 का परीक्षा कार्यक्रम दिनांक 22/05/2017 से दिनांक 06/06/2017, समयः सायं 2:00 बजे से 5:00 बजे तक प्रस्तावित किया गया था, पुनः विभागाध्यक्ष द्वारा उक्त तिथि में प्रस्तावित एम0ए0 (अर्थशास्त्र) प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाओं का समय 8:00 बजे से 11:00 तक पूर्वित (Prepone) कर परिवर्तित किया गया। विश्वविद्यालय द्वारा अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान आदि चार विभागों की परीक्षा समय सारणी में आंशिक संशोधन की अधिसूचना दिनांक 19/05/2017 को जारी कर दी जिसमें संशोधित समय सारणी विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर भी उपलब्ध होने की सूचना दी गयी थी, इसकी सूचना 20 मई, 2017 के समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुई। परन्तु दिनांक 22/05/2017 को एम0ए0 (अर्थशास्त्र) प्रथम सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र की परीक्षा में कुल 31 भूतपूर्व परीक्षार्थियों में से 26 परीक्षार्थियों ने ही परीक्षा दी। एम0ए0 (अर्थशास्त्र) प्रथम सेमेस्टर के पांच भूतपूर्व परीक्षार्थियों की प्रथम प्रश्नपत्र की परीक्षा छूट गयी। विभागाध्यक्ष द्वारा छात्रहित में छूटी हुई परीक्षा पुनः कराने हेतु अनुरोध किया गया है। तदक्रम में विचार—

निर्णयः—समिति ने सर्वसम्मत्ति से एम0ए0 (अर्थशास्त्र) प्रथम सेमेस्टर के पांच भूतपूर्व परीक्षार्थियों की प्रथम प्रश्नपत्र की छूटी हुई परीक्षा पुनः कराने का निर्णय लिया, जिसे भविष्य के लिए नज़ीर न माना जाय तथा भविष्य में ऐसी त्रुटि न होने पाये इसके लिए विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग को सूचित करने का भी निर्णय लिया।

6. (क) परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 20/04/2017 में अध्यक्ष की अनुमति से विन्दु संख्या—2 के क्रम में वर्तमान गुवाक्टा अध्यक्ष को परीक्षा समिति में सदस्य के रूप में co-opt करने पर विचार।

(परीक्षा समिति के गठन के सम्बन्ध में अध्यादेश में उल्लिखित है कि—"Such other teachers not exceeding two in number as may be coopted by the examination committee to serve as members of the Committee for a period of one year.")

निर्णयः—समिति ने सर्वसम्मत्ति से गुवाक्टा अध्यक्ष, डॉ0 एस0एन0 शर्मा को एक वर्ष के लिए परीक्षा समिति के सदस्य के रूप में **co-opted** करने का निर्णय लिया।

(ख) डॉ0 सुधाकर लाल श्रीवास्तव, अध्यक्ष, विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (co-opted सदस्य, परीक्षा समिति) का एक वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। co-opted सदस्य के रूप में परीक्षा समिति में नामित करने पर विचार।

निर्णयः—समिति ने सर्वसम्मत्ति से निर्णय लिया कि डॉ0 सुधाकर लाल श्रीवास्तव, अध्यक्ष, विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (co-opted) सदस्य, परीक्षा समिति) का एक वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और शिक्षक संघ का चुनाव सम्पन्न नहीं हुआ है, अतः इस प्रकरण को अभी स्थगित रखा जाय।

7. अमित कुमार तिवारी संस्थागत छात्र के रूप में बुद्ध पी0जी0 कालेज, कुशीनगर से बी0एड0 वर्ष—2014 में अनुक्रमांक—7765050029 से बी0एड0 परीक्षा में केवल प्रायोगिक परीक्षा में ही सम्मिलित हुए और प्रायोगिक अंक 255/300 अंक प्राप्त किये, सैद्धान्तिक (थियरी) परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए। महाविद्यालय द्वारा छात्र का पुनः भूतपूर्व छात्र के रूप में बुद्ध पी0जी0 कालेज, कुशीनगर से वर्ष—2015, अनुक्रमांक—153076505003 से परीक्षा में सम्मिलित करा दिया गया है, जबकि नियमानुसार छात्र भूतपूर्व हेतु अर्ह नहीं था। उक्त छात्र का परीक्षाफल विश्वविद्यालय स्तर से परीक्षाफार्म चेक करते समय रोक दिया गया है। छात्र के भूतपूर्व परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में सम्मिलित होने के सम्बन्ध में प्राचार्य से आख्या मांगी गयी थी कि—*''उक्त छात्र भूतपूर्व के लिए अधिकृत नहीं था तो किन परिस्थितियों में महाविद्यालय द्वारा उक्त छात्र का परीक्षाफार्म भरवाकर तथा परीक्षाफार्म अग्रसारित करके परीक्षा में सम्मिलित करा लिया गया है''* प्राचार्य ने अपनी आख्या में उल्लेख किया है कि "अमित कुमार तिवारी का बी0एड0 वर्ष—2015 में भूतपूर्व परीक्षार्थी के रूप में आनलाइन परीक्षा फार्म स्वीकार कर लिया तथा विश्वविद्यालय द्वारा उक्त छात्र को अनुक्रमांक भी आवंटित कर दिया गया। यदि अमित कुमार तिवारी भूतपूर्व परीक्षार्थी के रूप में अर्ह नहीं थे तो उनका आनलाईन परीक्षा फार्म विश्वविद्यालय द्वारा निरस्त कर देना चाहिए था। यदि परीक्षार्थी को विश्वविद्यालय उक्त परीक्षा हेतु अनुक्रमांक आवंटित नहीं किया गया होता, तो निर्वतमान प्राचार्य द्वारा परीक्षा में सम्मिलित कराने का प्रश्न ही नहीं उठता। बी0एड0 अध्यादेशों में व्यवस्था के अनुसार अमित कुमार तिवारी भूतपूर्व परीक्षार्थी के रूप में अर्ह नहीं हैं, किन्तु विश्वविद्यालय की त्रुटि के कारण छात्र का आनलाईन परीक्षा फार्म स्वीकार किया गया तथा अनुक्रमांक आवंटित कर दिया गया जिसके फलस्वरूप अभ्यर्थी अनियमित रूप से निवर्तमान प्राचार्य/केन्द्राध्यक्ष के कार्यकाल में भूतपूर्व परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में सम्मिलित होने में सफल हो गया है। ऐसी स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही सम्पन्न किया जाना उचित होगा।''

बी0एड0 अध्यादेश में उल्लिखित है—

"In case student----------is eligible to sit in the B.Ed. theory and practice of teaching examinations and passes in practical but fails in theory examinations then he/she shall be permitted to appear as an ex-student.--- ----------it shall be mandatory to pass in the all practical examinations in order to be able to appear an ex-student in the B.Ed. theory examinations."

इस प्रकरण में अधिष्ठाता (शिक्षा संकाय) ने परीक्षा समिति में रख कर निर्णय लेने हेतु संस्तुति की है। तदक्रम में बी0एड0 अध्यादेश के अनुसार अमित कुमार तिवारी के परीक्षाफल के प्रकरण पर विचार—

निर्णयः—समिति ने सर्वसम्मत्ति से निर्णय लिया कि अमित कुमार तिवारी भूतपूर्व छात्र बुद्ध पी0जी0 कालेज, कुशीनगर, बी0एड0 वर्ष—2015, अनुक्रमांक—153076505003 का परीक्षाफल घोषित कर दिया जाय तथा भविष्य में इसे नज़ीर न माना जाय।

8. दिग्विजय नाथ शुक्ल ने अपने प्रत्यावेदन दिनांक 17/05/2017 के द्वारा अवगत कराया है कि मैं एल0एल—एम0 भाग दो वर्ष 2010—12 अवधि में नियमित छात्र रहा हूँ, अध्यन के दौरान मेरा चयन झारखण्ड न्यायिक सेवा में हो गया और मैंने दिनांक 07/08/2015 को उक्त सेवा में अपना योगदान दिया है। वर्तमान में प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी के पद पर व्यवहार न्यायालय साहेबगंज में कार्यरत हूँ। एल0एल—एम0 उपाधि हेतु मेरी मौखिकी परीक्षा नहीं हुई है। अतः निवेदन है कि मेरी मौखिक परीक्षा के लिए तिथि नियत की जाय और इसकी सूचना मुझे भी दिया जाय जिससे मैं माननीय उच्च न्यायालय, राँची से अनुमति प्राप्त कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकूँ। मौखिक परीक्षा हेतु आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए मैं सहमत हूँ।

विभागाध्यक्ष, विधि विभाग द्वारा दिनांक 04/08/2015 को सूचना निर्गत की गयी थी जिसमें एल0एल—एम0 अंतिम वर्ष 2011—12 एवं 2014 के लघु शोध प्रबन्ध जमा करने वाले छात्रों का मौखिकी हेतु दिनांक 20/08/2015 को प्रातः 10 बजे बुलाया गया था जिसकी सूचना समस्त समाचार पत्रों में निर्गत करने हेतु प्रेषित किया गया था जिसके उपरान्त भी दिग्विजय नाथ शुक्ल मौखिकी परीक्षा में अनुपस्थित थे।

विभागाध्यक्ष ने उक्त के सम्बन्ध में अपनी आख्या में अवगत कराया है कि—"आवेदक की एल0एल—एम0 भाग दो की मौखिकी के पश्चात कोई मौखिक परीक्षा सम्पन्न नहीं हुई है। यदि नियम अनुज्ञात करते हों तो मौखिकी करायी जा सकती है।"

इस सम्बन्ध में कार्यालय का मत है कि एल0एल—एम0 भाग दो की मौखिकी के पश्चात अबतक कोई मौखिकी परीक्षा सम्पन्न नहीं हुई है। नियमानुसार परीक्षा शुल्क रू0 2500—00 जमा कराकर, परीक्षा करायी जा सकती है।

तदक्रम में दिग्विजय नाथ शुक्ल की एल0एल—एम0 भाग दो की मौखिकी की परीक्षा कराये जाने पर विचार—

निर्णयः–समिति ने सर्वसम्मत्ति से निर्णय लिया कि दिग्विजय नाथ शुक्ल एल0एल–एम0 भाग दो वर्ष 2010–12 की छुटी हुई मौखिक परीक्षा हेतु निर्धारित शुक्ल जमा करा कर एवं आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कराकर परीक्षा सम्पन्न करा ली जाय।

9. (क) नाजिश जहीर ने अपने प्रत्यावेदन में मांग किया है कि बी0ए0 भाग एक वर्ष–2014, बी0ए भाग दो वर्ष–2015 एवं बी0ए0 भाग तीन वर्ष–2016, केन्द्र–सेण्टएण्ड्रयूज कालेज, गोरखपुर की अंकतालिका में मेरा नाम नाजिश खान एवं पिता का नाम जहीरूद्दीन खान अंकित है। छात्रा ने अनुरोध किया है कि मेरे नाम नाजिश खान के स्थान पर, मेरा सही नाम नाजिश जहीर संशोधन कर अंकतालिका निर्गत किया जाय। नाम संशोधन पर विचार–

(नोट– साक्ष्य के रूप में हाईस्कूल प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं शपथ पत्र संलग्न किया है।)

निर्णयः–समिति ने सर्वसम्मत्ति से निर्णय लिया कि बी0ए0 भाग एक वर्ष–2014, बी0ए भाग दो वर्ष–2015 एवं बी0ए0 भाग तीन वर्ष–2016, केन्द्र–सेण्टएण्ड्रयूज कालेज, गोरखपुर की अंकतालिका में नाम नाजिश खान के स्थान पर, सही नाम नाजिश जहीर संशोधन कर अंकतालिका निर्गत कर दिया जाय।

(ख अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय पुत्र श्री आद्या प्रसाद पाण्डेय ने अपने पत्र दिनांक 22/05/2017 के द्वारा अनुरोध किया है कि बी0एस–सी0 भाग एक वर्ष–1994, बी0एस–सी0 भाग दो वर्ष–1995, बी0एस–सी0 भाग तीन वर्ष–1996 केन्द्र–महात्मा गांधी पी0जी0 कालेज, गोरखपुर की सारणीयन पंजिका में मेरे पिता का नाम अजय कुमार पाण्डेय अंकित है जबकि मेरे पिता का नाम आद्या प्रसाद पाण्डेय होना चाहिए। नाम संशोधन पर विचार–

(नोट–साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र, पासपोर्ट, पैनकार्ड, आधार कार्ड एवं अंकतालिकाओं की छायाप्रति संलग्न किया है)

निर्णयः–समिति ने सर्वसम्मत्ति से निर्णय लिया कि अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय पुत्र श्री आद्या प्रसाद पाण्डेय, बी0एस–सी0 भाग एक वर्ष–1994, बी0एस–सी0 भाग दो वर्ष–1995, बी0एस–सी0 भाग तीन वर्ष–1996 केन्द्र–महात्मा गांधी पी0जी0 कालेज, गोरखपुर की सारणीयन पंजिका में पिता का नाम अजय कुमार पाण्डेय के स्थान पर पिता का सही नाम आद्या प्रसाद पाण्डेय के नाम का संशोधन कर दिया जाय।

10. कु0 गरिमा पाण्डेय पुत्री केशरी नन्दन पाण्डेय, शिवशंकर चतुर्वेदी महाविद्यालय, टुंगपार, संतकबीर नगर ने बी0एड0 वर्ष–2014 अंकसुधार की परीक्षा, अनुक्रमांक–6764060081, परीक्षा केन्द्र–एच0आर0 पी0जी0 कालेज, खलीलाबाद, संतकबीरनगर से दी है और मांग किया है कि मेरी अंकसुधार की अंकतालिका दी जाय। गरिमा पाण्डेय के प्रकरण में अवगत कराना है कि केन्द्राध्यक्ष द्वारा पी–6 एवं पी–7 तथा उत्तरपुस्तिका जमा करने का विवरण प्राप्त है उसमें उत्तर पुस्तिका जमा है, प्रकरण पुराना होने के कारण उत्तरपुस्तिका एवं अन्य प्रपत्र प्राप्त नहीं हो पा रह हैं, एवं केन्द्राध्यक्ष ने भी अपनी आख्या में गरिमा पाण्डेय का अंकसुधार परीक्षा में उपस्थित होने का उल्लेख किया है। यह प्रकरण श्री राज्यपाल, सचिवालय में भी लम्बित है, गरिमा पाण्डेय के अंकसुधार परीक्षाफल के प्रकरण पर विचार–

निर्णयः–समिति ने सर्वसम्मत्ति से निर्णय लिया कि कु0 गरिमा पाण्डेय पुत्री केशरी नन्दन पाण्डेय, शिवशंकर चतुर्वेदी महाविद्यालय, टुंगपार, संतकबीर नगर, बी0एड0 वर्ष–2014 अंकसुधार की परीक्षा, अनुक्रमांक–6764060081, परीक्षा केन्द्र–एच0आर0 पी0जी0 कालेज, खलीलाबाद, संतकबीरनगर को औसत अंक प्रदान कर अंकतालिका निर्गत कर दी जाय।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य बिन्दु –

1. प्रभारी, ई0डी0पी0 सेल के प्रार्थना पत्र जिसमें यह निवेदन किया गया कि विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों की सारणीयन पंजिका पर विभिन्न अधिकारियों के हस्ताक्षर (फेसिमाईल) लगने के स्थान पर ई0डी0पी0 सेल के डाटा इन्ट्री आपरेटर के डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग हो, पर विचार–

निर्णय– समिति ने सर्वसम्मत्ति से विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि बढ़ते कम्प्यूटराईजेशन के साथ सुरक्षा की दृष्टिकोण से डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग अनिवार्य है। समिति ने इस सम्बन्ध में प्रभारी, ई0डी0पी0 सेल द्वारा प्रदत्त प्रतिवेदन को स्वीकार किया तथा तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही करने हेतु निर्णय लिया।

साथ ही समिति ने यह भी निर्देश दिया कि डाटा इण्ट्री आपरेटर भविष्य में ई0डी0पी0 सेल के मूल डाटा (जो डिजिटल साइन युक्त) में किसी भी परिवर्तन के पूर्व ई0डी0पी0 सेल प्रभारी की अनुमति अवश्य प्राप्त करे।

अन्त में अध्यक्ष को धन्यवाद के साथ समिति की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

परीक्षा नियंत्रक

कुलपति